

कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद

क्रमांक : 04

दिनांक : 12-7-2021  
-: वाहन किराये पर लेने की सूचना :-

इस विभाग में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द के लिये 01 महिन्द्रा बोलेरो वाहन (07 सीटर वातानुकूलित) किराये पर लिये जाने हेतु प्रतिष्ठित अनुभवी व्यक्ति वाहन स्वामी/ठेकेदार/फर्म से संलग्न प्रारूप में व शर्तों तथा शरायतों के अध्यक्षीन मोहरबंद प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

पूर्णरूप से भरे हुए सीलबंद प्रस्ताव दिनांक 17.07.2021 को दोपहर 03 बजे तक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (एडीआर सेंटर), राजसमन्द के कार्यालय में जमा करवाये जा सकते हैं। निविदा उसी दिन खोली जायेगी। प्रस्ताव पत्र का प्रारूप व शर्तें एवं शरायतें जिला न्यायालय, राजसमन्द की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/rajsamand> तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाईट [www.rlsa.gov.in](http://www.rlsa.gov.in) पर देखी जा सकती है एवं डाउनलोड की जा सकती है तथा इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी देखी जा सकती है।



अध्यक्ष,

उपापन समिति,

(जिला विधिक सेवा प्राधिकरण)

राजसमंद

12

क्रमांक : जि.वि.से.प्रा./2021/2474

दिनांक : 12-7-2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

01. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सादर प्रेषित है।
02. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, राजसमन्द को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
03. नोटिस बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद
04. कार्यालय प्रति।



अध्यक्ष,

उपापन समिति,

(जिला विधिक सेवा प्राधिकरण)

राजसमंद

12

## शर्तें एवं शरायतें

1. प्रस्ताव किसी भी व्यक्ति स्वामी/फर्म/ट्रेवल एजेन्सी द्वारा दिये जा सकते हैं।
2. उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन टैक्सी (Taxi) के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए।
3. वाहन 06 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में सक्षम स्वीकृति से उक्त अवधि को 02 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।
4. वाहन मालिक का वाहन चालक स्वच्छ पोशाक में होगा एवं वाहन को साफ-सुथरा रखेगा।
5. वाहन चालक वैद्य वाणिज्य वाहन (Commercial Vehicle) चलाने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र धारक होना आवश्यक है।
6. वाहन मालिक को किराये पर उपलब्ध करवाये गए वाहन पर एक प्लेट यह उद्यत करते हुए कि वाहन राजकीय कर्तव्य पर है, उपलब्ध करवानी होगा।
7. वाहन को यथा संभव कार्यालय परिसर में ही खड़ा किया जाएगा। (लेकिन जोखिम वाहन मालिक की होगी)
8. वाहन के प्रभारी अधिकारी द्वारा वाहन के कर्तव्य का समय निर्धारित किया जावेगा। वाहन के उपयोग हेतु कर्तव्य स्थान (Duty Point) से दूरी व समय की गणना के अनुसार वाहन की लॉग बुक भरी जावेगी। लॉगबुक निर्धारित प्रारूप में वाहन मालिक को वाहन के साथ उपलब्ध करवानी होगी।
9. वाहन मालिक द्वारा किसी दिनांक को वाहन उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो शरित रूपये 2,000/- (दो हजार रूपये) प्रतिदिन आरोपित की जावेगी तथा किराये पर अन्य वाहन लेने की स्थिति में यदि अतिरिक्त भुगतान किया जाता है तो अधिक भुगतान की वसूली वाहन स्वामी से की जावेगी।
10. वाहन की मरम्मत, पेट्रोल/डीजल/ऑयल आदि व्यय वाहन स्वामी द्वारा वहन किया जावेगा।
11. प्रत्येक वाहन में जी.पी.एस. का Installation अनिवार्य होगा तथा इसकी Monitoring राजस्थान राज्य विधिक प्राधिकरण, जयपुर द्वारा की जावेगी।
12. वाहन मालिक को वाहन का किराया वित्त विभाग के परिपत्रों (यथासंशोधित) की शर्तों के अनुसार निम्न दरों पर किया जावेगा:-
  - (i) 2000 किमी के लिये 31,350/- रूपये (जी.एस.टी. अतिरिक्त यदि लागू है)
  - (ii) प्रत्येक अतिरिक्त किमी की दर वित्त (जी.एण्ड.टी. एसपीएफसी)परिपत्र दिनांक 19.07.2015 एवं 31.03.2021 के अनुसार।
13. यदि वित्त विभाग उक्त दरों में भविष्य में या अनुबंध अवधि में कोई संशोधन किया जाता है तो संशोधित दरों से भुगतान किया जावेगा।
14. उक्त भुगतान योग्य राशि के अतिरिक्त पथकर का पुनर्भरण वाहन स्वामी को पथकर की रसीद प्रस्तुत करने पर किया जायेगा। पथकर के अलावा समस्त कर वाहन स्वामी द्वारा वहन किये जावेंगे।
15. सभी विधिक कटौतियां जैसे आयकर (टी.डी.एस.) सेवाकर इत्यादि, भुगतान के समय लागू विधि/नियमों के अनुसार की जाकर भुगतान किया जावेगा।
16. सफल प्रस्तावक (वाहन प्रदाता) को 500/- के Non-Judicial Stamp Paper पर अनुबंध का निष्पादन करना होगा।

"Help The Needy - Timely Help May Create"

17. चूंकि यह निविदा प्रस्ताव नहीं है तथा वाहन किराये पर लिये जाने हेतु पैनाल तैयार किया जाना है, अतः प्रस्ताव के साथ प्राप्त हुए दस्तावेजों एवं कार्य अनुभव एवं अन्य बातों को मद्देनजर रखते हुए गुणावगुण के आधार वाहन किराये पर लिये जाने का अंतिम निर्णय विभागाध्यक्ष का होगा।
18. इच्छुक प्रस्तावक अपना प्रस्ताव संलग्न प्रारूप में भरकर नियत तिथि दिनांक 21.06.2021 तक निम्न दस्तावेजों के साथ प्राधिकरण के कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगा:-
  - (i) वाहन किराये पर लिये जाने की शर्तें, जिसे स्वीकार करने के साक्ष्य स्वरूप प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय सील के करने होंगे।
  - (ii) किराये पर उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहनों का पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा एवं पॉल्यूशन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।
  - (iii) वाहन चालकों के नाम व उनके वैद्य अनुज्ञा पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।
  - (iv) पिछले 03 वर्षों का राजकीय कार्यालयों/विभागों में वाहन किराये पर उपलब्ध करवाये जाने के प्रमाण स्वरूप दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां।
  - (v) प्रस्तावक के जी.एस.टी. एवं पैना की प्रमाणित प्रतियां।
  - (vi) जी.एस.टी. का शोधन प्रमाण पत्र। (Tax Clearance Certificate)
19. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र राजसमन्द होगा।
20. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में वाहन का फिजिकल निरीक्षण व दस्तावेजात (टैक्सी नं., फिटनेस व परमिट, इंश्योरेंस, वैद्य ड्राईविंग लाइसेंस इत्यादि) की जांच के उपरांत उपयुक्त वाहन का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को प्रेषित किया जावेगा, एवं निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
21. अनुबंध के समय अन्य आवश्यक शर्तें, शरायतें जोड़ी जा सकेंगी।

प्रस्तावक के हस्ताक्षर  
मय पता व फोन नम्बर

"Help The Needy - Timely Help May Create"